# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ.(    )जविप्रा/उपा./जोन 12/2021/डी 1352                                    12-04-2021

**कुल सचिव,**
**डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय,**
**"रूसा भवन" ग्राउण्ड फ्लोर, शिक्षा सकुंल,**
**जेएलएन मार्ग, जयपुर**

**आवंटन पत्र**

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 159वीं बैठक दिनांक 07.04.21 में लिये गये निर्णय एवं राज्य सरकार के पत्र कमांकः प.1(67)नविवि/जयपुर/2021 जयपुर दिनांक 12.04.21 की अनुपालना में नव स्थापित डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रशासनिक एवं शैक्षणिक उपयोग हेतु ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में जविप्रा की सृजित संस्थागत योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 100482.70 व.मी. भूमि का निःशुल्क आवंटन निम्नलिखित शर्तो पर किया जाता है :-

**आवंटन की शर्ते** :-

1. भूमि का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा, जिसमें पूर्ण स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण का होगा।
2. नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना कमांक-एफ17(22)/यूडीएच/रूल्स/2020 जयपुर दिनांक 04.01.21 के बिन्दु संख्या-9 नियम 18 (3) के तहत यदि आवंटन पत्र जारी की तिथि से भूमि का उपयोग 4 वर्ष की अवधि में नहीं किया गया तो भूखण्ड व उस पर बने अधूरे भवन, यदि कोई हो तो, को अधिग्रहित कर लिया जावेगा व मुआवजा देय नहीं होगा।
3. भूखण्ड एवं इस पर निर्मित भवन किसी भी अन्य को प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना विक्रय बन्धक, दान, शिकमी एवं अन्य किसी रूप में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
4. भूखण्ड एवं इस पर निर्मित भवन को पुनर्गृहित कर लिये जाने पर इसको पुनः आवंटन/विक्रय करने का प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा।
5. राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों, उप-नियमों व समय-समय पर प्रचलित अन्य नियमों व उनमें किए गये व किए जाने वाले संशोधनों व समय-समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों एवं प्राधिकरण के निर्णयों के अधीन भूखण्ड का आवंटन समझा जायेगा।
6. भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल आवंटित भूखण्ड के स्थान पर मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। अतः आधिपत्य लेते समय वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार ही भौतिक कब्जा एवं लीज डीड जारी की जावेगी।
7. भूमि की लीजडीड निष्पादित करवाना आवश्यक होगा तथा स्टाम्प ड्यूटी का व्यय आवंटी संस्था द्वारा ही वहन किया जावेगा।
8. भवन निर्माण के मामले में भवन विनियम (Building Regulation) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 लागू होगें।
9. राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा समय समय पर जारी आदेश/शर्तो एवं भूमि आवंटन नीति 2015 के नियमों की पालना आवंटित संस्था द्वारा की जावेगी।
10. उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किया गया तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि बिना कोई नोटिस दिये भूखण्ड अधिग्रहित कर ले।

उपायुक्त जोन 12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555